

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांकप.1/प्रति7/अधि.से.नि-19/18/9336

दिनांक 13-6-18

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफडी/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुदेशो के तहत आयुर्वेद विभाग के निम्नांकित अराजपत्रित कर्मचारियो द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्यान्ह बाद राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता है :-

मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ सेवा संवर्ग

क्र. सं.	नाम मंत्रालयिक कार्मिक का	पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	देवकरण तंवर	रामलाल तंवर	कनिष्ठ सहायक	व्यवस्थापक राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर	अजमेर	18/04/1959	30/04/2019

नोट :- उक्त कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान मे :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त अराजपत्रित कार्मिको के अतिरिक्त दिनांक 31.12.2019 तक सेवा निवृत होने वाले कार्मिको का नाम सूची मे सम्मिलित होने से रह गया हो अथवा किसी का नाम, जन्म दिनांक गलत अंकन होने की स्थिति मे अविलम्ब सूचित करे। आप द्वारा प्रेषित सेवानिवृत्ति सूचना का पुनः अवलोकन कर लेवे किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अथवा किसी कर्मचारी का नाम रह जाने पर आपका उत्तरदायित्व माना जावेगा।

(स्नेहलता पंवार)

निदेशक

दिनांक 13-6-18

क्रमांकप.1/प्रति7/अधि.से.नि-18/17/9336

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।
4. अति. निदेशक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाए, अजमेर।
5. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाए, अजमेर।
6. निजी सहायक अति.निदेशक आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
7. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालय को जरिये ई- मेल करे।
8. शाखा प्रभारी जॉच/गोपनीय/प्रति.4/प्रति.6 आयुर्वेद निदेशालय अजमेर।
9. सम्ब. कर्म. श्री/श्रीमती.....द्वारा संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी।
10. सामान्य-पत्रावली।

अति.निदेशक